उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 49/2021

रमेश गोप बनाम् राज्य एवं अरूण साव वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
09.05.2023	यह वाद अपीलार्थी रमेश गोप, पति–रामदेव गोप, सा०–बुजुर्ग जमीरा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–07/2020–21 रमेश गोप बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत् प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90, प्लॉट नं०–1146, रकवा–2.2450 ए०, प्लॉट नं०–1075, रकवा–0.73 ए०, प्लॉट नं०–476, रकवा–0.29 ए०, प्लॉट नं०–477, रकवा–0.23 ए० एवं प्लॉट नं०–908, रकवा–1.2950 ए० कुल रकवा–4.79 ए० भूमि से संबंधित है। लवली कुमारी, पिता–स्व० मुकुन्द गोप, पति–अनिकेत यादव, ग्राम–कुली, पो०–रामतुलिया, थाना–कामडारा, जिला–गुमला के द्वारा इस वाद में मध्यक्षेपक बनने हेतु आवेदन दिया गया जिसे स्वीकृत किया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90, प्लॉट नं०–1146, रकवा–2.2450 ए०, प्लॉट नं०–1075, रकवा–0.73 ए०, प्लॉट नं०–476, रकवा–0.29 ए०, प्लॉट नं०–477, रकवा–0.23 ए० एवं प्लॉट नं०–908, रकवा–1.2950 ए० कुल रकवा–4.79 ए० भूमि सर्वे खतियान में मकुन वो ललवा गोप वगै० कौम ग्वाला के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90, प्लॉट नं०–1146, रकवा–2.2450 ए०, प्लॉट नं०–1075, रकवा–0.73 ए०, प्लॉट नं०–476, रकवा–0.29 ए०, प्लॉट नं०–477, रकवा–0.23 ए० एवं प्लॉट नं०–908, रकवा–1.2950 ए० कुल रकवा–4.79 ए० भूमि के वास्तविक मालिक मुकुन्द गोप एवं उनके भाई थे। उनके मृत्यु के पश्चात् मुकुन्द गोप की पुत्री लवली कुमारी अपने नाना विपक्षी क्रमांक–04 है के पास रहती थी। चूँकि लवली कुमारी नाबालिग थी इसलिए विपक्षी क्रमांक–04 ने Principal District Judge, के न्यायालय में Guardianship Case No.-02/2014 (K)/Guardianship Case No.-	

164/2013 (R) दायर कर Guardianship प्राप्त कर केवाला संख्या–2674, दिनांक–03.09.2014 से अपीलार्थी एवं विपक्षी क्रमांक–03 को भूमि हस्तांतरण किया गया। उक्त केवाला के आधार पर अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया, जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा खारिज किया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद का अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर किया गया जिसे बिना किसी आधार पर अपील आवेदन खारिज किया गया।चुँकि उक्त केवाला का निष्पादन नियमतः हुआ है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी क्रमांक–03 केवाला संख्या–2674, दिनांक–03.09.2014 के लेख्यधारी क्रमांक–02 भी है, कहना है कि अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है। खतियानी रैयत मुकुन्द गोप की माईनर पुत्री लवली कुमारी उक्त भूमि की वास्तविक मालिक है। लेकिन कोर्ट से बिना परमिशन लिये हुए विपक्षी क्रमांक–04 ने भूमि हस्तांतरण किया है, जो नियमसंगत नहीं है। लवली कुमारी के द्वारा Court of Civil Judge (Senior Division) 5th Ramgarh में Title Suit No.-13/21 दायर किया गया उनका आगे कहना है कि जब केवाला संख्या–2674, दिनांक–03.09.2014 में लेख्यधारी दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज पोषनीय नहीं है। उन्होने रिविजन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। मध्यक्षेपक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है जब खतियानी रैयत मुकुन्द गोप की मृत्यु हुई थी उस समय मध्यक्षेपक Minor थी। विपक्षी क्रमांक–04 जो उनके नाना है, बिना कोर्ट के परमिशन लिये भूमि का हस्तांतरण कर दिये है। जो नियमसंगत नहीं है। उन्होने रिविजन आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, पतरातू प्रतिवेदित किया है कि राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों की सुनवाई से स्पष्ट है कि भूमि विवादित है। सुनवाई के दौरान क्रेता क्रमांक–02 अरूण साव, पिता– फुदन साव के द्वारा लिखित रूप दाखिल खारिज अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। उनके द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि क्रेता क्रमांक–02 अरूण साव साकिन साहू कॉलोनी रामगढ़ कैन्ट के द्वारा आपत्ति आवेदन प्राप्त हुआ है। इन्होनें अपने आवेदन में लिखा है कि उक्त केवाला रमेश गोप व अरूण साव के नाम से दमेश्वर गोप पिता– नन्दु गोप जिला–खूँटी के द्वारा केवाला किया गया है, जिसमें कई खामियॉ है, जिसके कारण पूर्व में अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत किया गया। उपरोक्त जमीन में 10/17 एवं 1/18 दो टाईटल सूट, रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में चल रहा है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में स्वत्व वाद संख्या–10/17 एवं 1/18 दो टाईटल सूट दायर किया गया है। साथ ही साथ एक लेख्यधारी के द्वारा आपत्ति भी किया जा रहा है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा–बुजुर्ग जमीरा थाना सं०–81 थाना–पतरातू के खाता सं०–90, प्लॉट नं०–1146, रकवा–2.2450 ए०, प्लॉट नं०–1075, रकवा–0.73 ए०, प्लॉट नं०–476, रकवा–0.29 ए०, प्लॉट नं०–477, रकवा–0.23 ए० एवं प्लॉट नं०–908, रकवा–1.2950 ए० कुल रकवा–4.79 ए० भूमि सर्वे खतियान में मकुन वो ललवा गोप वगै० कौम ग्वाला के नाम से रैयती दर्ज है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि निबंधित केवाला संख्या–2674, दिनांक–03.09.2014 से भूमि के वास्तविक मालिक के द्वारा भूमि बिक्री की गई है। लेकिन उक्त केवाला में लेख्यधारी दो व्यक्ति है, एक अपीलार्थी है और दुसरा लेख्यधारी संख्या–02 है, जिसके द्वारा आपत्ति दायर किया गया। साथ ही साथ उक्त भूमि पर Title Suit चल रहा है। मध्यक्षेपक का कहना है कि मैं अब बालिग हो गई हुँ इसलिए विपक्षी क्रमांक–04 के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाना नियमसंगत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–07/2020–21 रमेश गोप बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक–22.03.2021 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
09.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
09.5.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.06.06 14:59:43 +05:30
Location: 192.168.0.103